राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–02 / 2025
जीसीएमएस नं.–2025 / 210

दायर दिनांक :–13.01.2025
निर्णय दिनांक :–25.02.2026

1. श्री बाबुलाल पिता काना डामोर, निवासी–वक्तापुर तहसील–सीमलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भला पिता कालू डामोर, निवासी–वक्तापुर (झलाई) तहसील–सीमलवाडा
2. श्रीमति रंगी पत्नी भला डामोर, निवासी–वक्तापुर (झलाई), तहसील–सीमलवाडा
3. श्री राजस्थान जरिये तहसीलदार, सीमलवाडा, जिला–डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थित :–1. श्री अमृतलाल पंचाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अल्लाहनुर मनसुरी, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण सं. 1 व 2 एक गांव के रहने वाले है। गांव वक्तापुर झलाई के खसरा नम्बर 1974 में रकबा 10 बीघा बिलानाम कृषि जमीन में से रकबा 4 बीघा जमीन पर प्रार्थी के पिता का गत 40 वर्षों से कब्जा काश्त है, चारो तरफ थुअर की बाड लगाई है तथा प्रार्थी का पशुघर भी बना हुआ है, जिसमें अपने मवेशियो को बांधने का उपयोग किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में भी प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि सूडीया घांस, मीर्ची आदि बोई है। प्रार्थी उक्त जमीन में बोई मीर्ची भी निराई गुडाई करने गया तो अचानक विपक्षीगण कहने लगे की यह जमीन उन्होने अपने नाम से आवंटन करा ली है। विपक्षीगण सं. 1 व 2 ने तथ्यों को छिपाकर हल्का पटवारी से साठगाठ कर प्रार्थी के कब्जे वाली 4 बीघा में से उक्त 2 बीघा जमीन को अपने नाम आवंटन करा ली है, जिसका खसरा नं. 1974 / 2 दर्ज हुआ है। विपक्षीगण ने मिसल नम्बर 14 / 2010 दिनांक 08.12.2010 के जरिये प्रार्थी के कब्जे वाली जमीन को तथ्यों को छिपाकर आवंटन करा लिया है। इसकी पालना विपक्षीगण ने नही की है, चूंकि कब्जा प्रार्थी का है वही काबिज है। विपक्षीगण को मात्र कागजो में आवंटन हुआ है। विपक्षीगण को आवंटन वाली खसरा नम्बर 1974 / 2 का भौतिक सत्यापन किये बीना ही मौका रिपोर्ट तैयार कर देने से नियमों के विपरीत आवंटन हो गया है, पटवारी की मौका रिपोर्ट पर के क्रमांक 20 में इस जमीन पूर्व कब्जा बाबत् कॉलम भी जानबुझ कर खाली रखा है, इसमें यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का कब्जा था, यदि प्रार्थी का कब्जा लिख दिया जाता तो विपक्षीगण का आवंटन रूक जाता। अतः गांव वक्तापुर तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में दिनांक 08.12.2010 को मिसल नम्बर 14 / 10 के जरिये विपक्षीगण को खसरा नम्बर 1974 / 2 रकबा 2 बीघा जमीन का आवंटन निरस्त किये जाने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 1974 जो बिलानाम आराजी होकर उसमें प्रार्थी का 4 बीघा पर कब्जा होने वाले का कथन गलत एवं बे बुनियाद है । प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त की आराजी 1974 को अपने वो अपनी पत्नि के नाम से आवंटन करवा लिया है। जिसका बढता नम्बर 2521 / 1974 कायम हुवा है। लेकिन प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को मोहन पिता अर्जन डामोर निवासी वक्तापुर को विक्रय कर दिया होने से खतोनी संवत 2074 से 77 (वर्ष 2019) के खाता नं. 102 नया वो 114 पुराना के खसरा नं. 2521 / 1974 रकबा 0.4047 हेक्टर में प्रार्थी की पत्नि श्रीमति मंजुला पत्नि बाबु का 1 / 2 एवं मोहन पिता अर्जन डामोर का 1 / 2 हिस्सा अंकित होकर मौके पर मौजुद है। प्रार्थी द्वारा अंकित किया जाना कि विपक्षी का 1974 / 2 है जो कि बिलानाम आराजी होकर विपक्षी की नहीं होकर विपक्षी के खाते की आराजी खाता नं. 86 नया वो 116 पुराना होकर 2519 / 1974 रकबा 0.3237 हैक्टर है। प्रार्थी का कब्जा काश्त विपक्षीगण के खाते की

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

आराजी पर कभी नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। विपक्षीगण के नाम जो आराजी आवंटन हुई बिलानाम होने एवं विपक्षी के विरासती खाते से साटी हुई होने से पूर्व से ही विपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं इस पर विपक्षी का मकान बना हुआ होकर हेण्ड पम्प खुदा हुआ है। जिसे विपक्षी के नाम से आवंटन विधिनुसार किया गया है। खसरा नं. 1974/2 आज भी बिलानाम आराजी स्थित है। विपक्षी के खाते के खसरा नं. 2519/1974 रकबा 0.3237 हेक्टर है। विपक्षीगण को आवंटन प्रार्थी के नजरों के सामने मजमए आम में हुआ है जिसमें प्रार्थी एवं गांव के अन्य व्यक्तियों को खसरा नं. 1974 बिलानाम में आवंटन हुवा है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक होकर उनके पास आवंटित भूमि के अलावा अन्य काश्त की आराजी नहीं है । आवंटन किये जाने में किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। खसरा नं. 1974/2 बिलानाम होने से नियमों के अंतरगत विधिसम्मत आवंटन किया गया है। उसी केम्प में प्रार्थी को भी उसके व उसके पत्नि के नाम से आवंटन हुआ है लेकिन प्रार्थी ने अपना हिस्सा मोहन पिता अर्जन डामोर निवासी वक्तापुर को विक्रय कर दिया होने से वर्तमान में 1/2 हिस्सा अर्जन डामोर के नाम से एवं 1/2 हिस्सा प्रार्थी की पत्नि श्रीमति मंजुला के नाम से वर्तमान खाता नं.102/114 में खसरा नं. 2521/1974 रकबा 0.4047 हेक्टर अंकित होकर मौजूद है।

उभयपक्षो की बहस सुनी। उभयपक्षो की बहस समाप्त की गयी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता का गत 40 वर्षों से कब्जा काश्त है, चारो तरफ थुआर की बाड लगाई है तथा प्रार्थी का पशुघर भी बना हुआ है। विपक्षीगण सं. 1 व 2 ने तथ्यों को छिपाकर हल्का पटवारी से साठगाठ कर प्रार्थी के कब्जे वाली 4 बीघा में से उक्त 2 बीघा जमीन को अपने नाम आवंटन करा ली है, जिसका खसरा नं. 1974/2 दर्ज हुआ है। अतः विपक्षीगण सं. 1 व 2 को आवंटित भूमि को आवंटन निरस्त किया जाना उचित है। विपक्षीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षी के नाम से आवंटन विधिनुसार किया गया है । खसरा नं. 1974/2 आज भी बिलानाम आराजी स्थित है । विपक्षी के खाते के खसरा नं. 2519/1974 रकबा 0.3237 हेक्टर है। विपक्षीगण को वर्ष 2010 में आवंटन हुआ उसी समय उसी खसरा में प्रार्थी को भी मजमए आम में आवंटन किया गया है । इसलिए प्रार्थी द्वारा कथन किया जाना कि उसे विपक्षी को आवंटन होने की जानकारी नहीं थी गलत एवं बे बुनियाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

मैंरे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड एवं बहस पर मनन करने से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि का नवीन नम्बर 1974/2 नही है, बल्की आवंटित भूमि का नया नम्बर 2519/1974 है तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी में खसरा नं. 1974/2 राजस्व रेकार्ड में सगरी के रूप में दर्ज है और यह भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज नही है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई रेकार्ड या साक्ष्य पेश नही किया हो जिसमें विपक्षीगण ने आवंटित भूमि के आवंटन शर्तो की पालना नही की हो। जिससे सिद्व होता है, कि विपक्षीगण को उक्त आवंटित भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। इन सभी तथ्यो और उपलब्ध रेकार्ड के मध्येनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)